

## Member of Parliament Local Area Development Scheme



भारत सरकार  
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली - 110001  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION  
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001  
FAX : 23364197  
E-mail : mplads@nic.in

फा.सं.सी-28/2016-एमपीलैड्स

Dated **20.12.2016**

सेवा में,

- (1) आयुक्त  
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
- (2) सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

**विषय: सौर प्रकाश (लाइट) प्रणाली की व्यवस्था ।**

महोदय/महोदया,

कारगर तथा स्वच्छ प्रकाश उपलब्ध कराने हेतु सौर लाइटों की व्यवस्था करने के बारे में मंत्रालय में स्पष्टीकरणों की मांग संबंधी संदर्भ प्राप्त हुए हैं ।


2. एमपीलैड योजना का उद्देश्य विकास कार्य संपन्न करना तथा स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों पर आधारित स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है । अस्थायी तथा चल परिसंपत्तियों की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है । कोई भी स्थायी सामुदायिक परिसंपत्ति जो हरित ऊर्जा को बढ़ावा देती हो, एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुमत्य है ।

3. कुछ राज्यों में विद्युतीकरण 50% से कम है । चूंकि इन राज्यों के कई क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट के कवरेज की व्यवस्था अपर्याप्त है, इसलिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सार्वजनिक उपयोग के लिए सौर लाइटिंग प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु अटल ज्योति योजना का विकास किया है । इस योजना के अंतर्गत सौर स्ट्रीट लाइटिंग की 75% लागत उस मंत्रालय के बजट से प्रदान की जाती है तथा शेष 25% लागत एमपीलैड्स निधियों, पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय निधियों से उपलब्ध किया जाना है ।

4. एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 3.17 तथा 3.18 के अनुसार, संसद सदस्य अपनी एमपीलैड्स निधियों से इस योजना के लिए भी कतिपय राशि के अंशदान की सिफारिश कर सकते हैं। जिला प्राधिकारी राज्य सरकार की स्थापित प्रक्रिया तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों में विशेष रूप से उल्लिखित पैरा सं. 2.6, 2.11, 3.3, 3.17 और 3.18 का अनुपालन करते हुए इसे स्वीकृति प्रदान करने तथा इसके कार्यान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

5. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

भवदीय,



(डॉ. साई बाबा)

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)
2. सचिव, एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी।
6. एनआईसी को एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।